न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 58 /2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक , इन्दिरा मार्केट भीलवाडा	**बनाम**	1. श्री चारभुजा स्पिनटैक्स, कार्यालय – प्लॉट नं. जी–1/98, चतुर्थ फेज, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, भीलवाडा , अन्य पता – 190, काशीपुरी भीलवाडा
–– प्रार्थी		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिवक्ता– श्री मनोज जोशी

निर्णय

दिनांक : 30-5-19

प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक की ओर से प्राधिकृत अधिवक्ता श्री मनोज जोशी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीया को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 220 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर आवासीय जायदाद काशीपुरी भीलवाडा में स्थित भूखण्ड सं. 190, साईज 2494 वर्गफीट तथा इस पर निर्मित संपूर्ण जायदाद जोकि रमेशचन्द्र सोमानी पुत्र कल्याणमल सोमाणी तथा श्रीमती मीनादेवी सोमानी पत्नी रमेश चंद्र सोमानी के नाम पर है तथा औद्योगिक जायदाद, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, चतुर्थ फेज, भीलवाडा में स्थित भूखण्ड सं. जी–198 साईज 1061 वर्गमीटर तथा इस पर निर्मित संपूर्ण जायदाद जो कि श्री चारभुजा स्पिनटैक्स के नाम पर है जो अप्रार्थीगण के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 21.01.2019 तक कुल बकाया ऋण की राशि 2,17,97,542/– रू है। अप्रार्थीयों के द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस दिनांक 29.03.2017 को भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं:–

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी फाईनेन्स कम्पनी का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30-5-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)